कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं. (07819) 245622, फैक्स – 245622 ई–मेल– dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 8003 चांपा/दिनांक 15/12/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

विषयः– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जांजगीर–चांपा जिला के जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज– II" के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.685 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।
पंजीयन कमांक **FP/CG/ OFC/43320/2019**

संदर्भ– अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध/वं.स.अ) का पत्र क./भू–प्रबंध/विविध/115–839/1992 दिनांक 06.11.2020

—"—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार विषयांकित प्रस्ताव की प्रथम चरण स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 03.11.2020 को जारी की गई है।

अतः प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के परिपालन में संबंधित संस्थान से प्राप्त कर बिन्दुवार पृथक–पृथक वचन पत्रों सहित पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार आपकी ओर संप्रेषित है।

1.	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
2.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जावेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं की जावेगी।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
3.	ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
4	उपरोक्त लाइन बिछाने हेतु खंन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर एवं 1.65 मीटर गहराई होगी। वन्यप्राणी तथा बायो डाइवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय अधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदुरों द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
5.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सकें तथा खोदे जा रहे वनभूमि की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

6.	उपरोक्त लाइन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण के बाहर सड़क किनारे तथा मौजुदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
7.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात उपयोग किये गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनब्द्ध रहेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
8.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
9.	आवेदक संस्थान, रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
10.	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
11.	वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिमय 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को प्रेषित करेंगे।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
13.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग वदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
14.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (**Flora & Fauna**) के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन की अभिलेख औपचारिक अनुमोदन हेतु आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार,

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल